19-8-19

वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली को पेशी में लेने बाबत निवेदन किये जाने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया राज पैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में राजीनामा होने के कारण तनकीयात बनना नहीं पाया जाता है बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया डिक्री ~~जारी~~ स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर जारी हो पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
[illegible]मानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 078/2019

1 जगजीतसिंह पुत्र स्व. श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढ़ाणी हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 महेन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढ़ाणी हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 चरणजीत कौर पुत्री स्व. श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढ़ाणी हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 हरवीन कौर पुत्री स्व. श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढ़ाणी हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप पारिक अधिवक्ता — वादी
2. श्री बनवारी लाल पारिक अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 4

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 19.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 3 के.एन.जे. के खाता संख्या 166/163 के पत्थर नम्बर 119/260 (15) किला नम्बर 22/.139, पत्थर नम्बर 119/261 (24) किला नम्बर 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/2 की 2.769 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड खातेदारी है जिसका प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 की उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के पिता द्वारा मिली हुई है। एवम् वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 अपनें पिता के स्वर्गवास के समय नाबालिक थे एवम् वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 नें आज से काफी अर्सा पूर्व घरा घरू बंटवारा कर लिया व इसी बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। घराघरू बंटवारे में निम्नानुसार भूमि प्राप्त हुई :–

1. वादी जगजीत का हिस्सा :– चक 3 के.एन.जे. के खाता संख्या 166/163 के पत्थर नम्बर, पत्थर नम्बर 119/261 (24) किला नम्बर 23, 24, 25/0.051 की कुल 0.557 हैक्टर कृषि भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 2 चरणजीतकौर का हिस्सा :– चक 3 के.एन.जे. के खाता संख्या 166/163 के पत्थर नम्बर 119/261 (24) किला नम्बर 15/.051, 16/.126 17/.253, 25/.075 की कुल 0.505 हैक्टर कृषि भूमि।
3. प्रतिवादी संख्या 2 हरवीनकौर का हिस्सा :– चक 3 के.एन.जे. के खाता संख्या 166/163 के पत्थर नम्बर 119/260 (15) किला नम्बर 22/.139, पत्थर नम्बर 119/261 (24) किला नम्बर 2/.253, 3/.139, 7/.139, 8/.253, 13/.253, 14/.253, 15/.025, 18/.253 की कुल 1.707 हैक्टर कृषि भूमि।

वादी नें अपनें हिस्सा में आई कृषि भूमि को मिट्टी उठाकर कराहा लगाकर समतल किया है। एवम् अच्छी खाद व उर्वरक डालकर उपजाऊ बनाया है। जब वादी नें बंटवारे में

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy, Not Official

Scanned by CamScanner

अपने हिस्सा में आई भूमि घराघरू बंटवारा एवम् कब्जा के अनुसार नाम लगवानें के लिये प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे और आखिर दिनांक 25.02.2019 को इन्कार हो गये यही वाद कारण है।

वादी को वाद पत्र के पैरा 4 के अनुसार वाद कारण हासिल है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. वाद पत्र की पैरा 3 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी वादी के नाम रकमराज अलग कायम किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को दिलवाना उचित समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 04.04.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढने समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि मिकरान का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है वादी की माता के नाम चक 3 के.एन.जे. के खाता संख्या 166/163 के पत्थर नम्बर 119/260 (15) किला नम्बर 22/.139, पत्थर नम्बर 119/261 (24) किला नम्बर 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/2 की 2.769 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड खातेदारी है

उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण नें आज से काफी अर्सा पूर्व घरा घरू बंटवारा कर लिया व इसी बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। घराघरू बंटवारे में निम्नानुसार भूमि प्राप्त हुई :–

1. वादी जगजीत का हिस्सा :– चक 3 के.एन.जे. के खाता संख्या 166/163 के पत्थर नम्बर, पत्थर नम्बर 119/261 (24) किला नम्बर 23, 24, 25/0.051 की कुल 0.557 हैक्टर कृषि भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 2 चरणजीतकौर का हिस्सा :– चक 3 के.एन.जे. के खाता संख्या 166/163 के पत्थर नम्बर 119/261 (24) किला नम्बर 15/.051, 16/.126 17/.253, 25/.075 की कुल 0.505 हैक्टर कृषि भूमि।
3. प्रतिवादी संख्या 2 हरवीनकौर का हिस्सा :– चक 3 के.एन.जे. के खाता संख्या 166/163 के पत्थर नम्बर 119/260 (15) किला नम्बर 22/.139, पत्थर नम्बर 119/261 (24) किला नम्बर 2/.253, 3/.139, 7/.139, 8/.253, 13/.253, 14/.253, 15/.025, 18/.253 की कुल 1.707 हैक्टर कृषि भूमि।

इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण को घरा घरू बंटवारा में उपरोक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई व बंटवारा से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण राजीनामा के पैरा संख्या 3 के अनुसार अपना दावा डिक्री करवाना चाहते है, व राजीनामा अनुसार अपनें हिस्से में आई भूमियों का खाता व रकमराज उपरोक्त राजीनामा अनुसार अलग करवाना चाहते है। व इसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर इन्तकाल दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैराकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए याचित अनुतोष प्रदान किया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 3

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नही होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणो नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझोता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कौर के नाम चक 3 के. एन.जे. के खाता संख्या 166/163 के पत्थर नम्बर 119/260 (15) किला नम्बर 22/.139, पत्थर नम्बर 119/261 (24) किला नम्बर 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/2 की 2.769 हैक्टर भूमि के सम्बंध में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र व पुत्री होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी

लगातार 4

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ...नगढ़

Scanned by CamScanner

अधिनियम 1955 की धारा 88. के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादग्रीन कुल 2.769 हैक्टर भूमि में से वादी जगजीतसिंह को 0.557 हैक्टर प्रतिवादीया संख्या 2 को 0.505 हैक्टर तथा प्रतिवादीया संख्या 3 को 1.707 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53. के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी जगजीतसिंह पुत्र स्व. श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढ़ाणी हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 के.एन.जे.	166/163	119/261 (24)	23,/.253, 24/.253, 25/.051	0.557 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 2 चरणजीत कौर पुत्री स्व. श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढ़ाणी हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 के.एन.जे.	166/163	119/261 (24)	15,/.051, 16/.126, 17/.253 25/.075	0.505 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 3 हरवीन कौर पुत्री स्व. श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढ़ाणी हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 के.एन.जे.	166/163	119/260 (15)	22/.139	0.139 हैक्टर
		119/261 (24)	2,/.253, 3/.139, 7/.139 8/.253, 13/.253 14/.253, 15/.025, 18/.253	1.568 हैक्टर
कुल भूमि :–				1.707 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 078 / 2019

1 जगजीतसिंह पुत्र स्व श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढाणी हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ। – – वादी

–: बनाम :–

1 महेन्द्र कौर पत्नी स्व श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढाणी हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2 चरणजीत कौर पुत्री स्व श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढाणी हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
3 हरवीन कौर पुत्री स्व श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढाणी हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
4 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 19.08.2019

वादी की ओर से श्री रवीन्द्र पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री बनवारी लाल पारीक अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से राजपैराकार इस वाद में आज दिनांक 19.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अन्तिम निस्तार के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादाधीन कुल 2.769 हैक्टर भूमि में से वादी जगजीतसिंह को 0.557 हैक्टर प्रतिवादीया संख्या 2 को 0.505 हैक्टर तथा प्रतिवादीया संख्या 3 को 1.707 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी जगजीतसिंह पुत्र स्व. श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढाणी हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 के.एन.जे.	166 / 163	119 / 261 (24)	23 / .253, 24 / .253, 25 / .051	0.557 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 2 चरणजीत कौर पुत्री स्व. श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढाणी हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 के.एन.जे.	166 / 163	119 / 261 (24)	15 / .051, 16 / .126, 17 / .253, 25 / .075	0.505 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 3 हरवीन कौर पुत्री स्व. श्री बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के.एन.जे. ढाणी हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 के.एन.जे.	166 / 163	119 / 260 (15)	22 / .139	0.139 हैक्टर
		119 / 261 (24)	2 / .253, 3 / .139, 7 / .139, 8 / .253, 13 / .253, 14 / .253, 15 / .025, 18 / .253	1.568 हैक्टर
कुल भूमि :–				1.707 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें। यह डिक्री आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई
मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –		
आदेशिका की [illegible]	– –		

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 12:09:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: